



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. गवालियर केम्प भोपाल

PBR1 निगरानी/हरदा/भू.रा/2017/3576
निगरानी प्र.क. :- पीबीआर/2017 जिला हरदा

प्रस्तुत दिनांक :-

निगरानीकर्ता :- 1. गजराज सिंह पिता नाथूराम राजपूत

मानेक अधिकारी प्रीमियम श्री धनरथाम

जोनी द्वारा भोपाल ब्लैग

मेरे दिनांक - 27/9/17 को

प्रस्तुत किया गया।

खाता
27/9/17

2. वीर सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत

3. हुकुमसिंह आ. गजराज सिंह राजपूत

4. शांताबाई पत्नि स्व. नर्थु सिंह राजपूत

चारों निवासी ग्राम रामपुरा तह. सिराली जि.हरदा

5. श्रीमति शारदाबाई पुत्री नाथूराम पति राजाराम

राजपूत नि.ग्र.लोलांगरा तहसील सिराली जि.हरदा

6. श्रीमति रमाबाई पुत्री नाथूराम पत्नि भगवान सिंह

राजपूत निवासी बलराम चौक, हरदा जिला हरदा

बनाम

उत्तरवादी

:- श्रीमति समाबाई पुत्री नाथूराम पत्नि राधेश्याम

राजपूत निवासी ग्राम खमगाँव तहसील रहटगाँव

जिला हरदा

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.स. 1959

निगरानीकर्तागण यह याचिका न्यायालय श्रीमान

अनुविभागीय अधिकारी महोदय खिरकिया द्वारा राजस्व प्र.क. 18अ/27वर्ष

//02//

//02//

16-17 ग्राम रामपुरा मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक-23/08/17 से व्यथित होकर तथ्यों एवं विधि के निम्न सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते हैः—




28.३.२०१७

आवेदनगाम की ओर से श्री
वनश्वाम सोनी अधिकारी (उपायक)।
ग्राहयता पर लुप्त हो गया। उनका तर्क
है कि अनुवाकमांगीय आविष्कारी
द्वारा दिना आवेदनगाम को

किना दुने लोकप्रिय प्रकृति का आदेश
पारति के अवार्द्ध विद्यार्थी को अवैद्य
प्रति लीकार कर दिया गया है। अतः
अनुवाकमांगीय आविष्कारी को विरोध
हो जाते हैं कि आवेदनगाम को
सुनवाई का अवसर देकर अवार्द्ध
विद्यार्थी की द्वारा को आवेदन
प्रति दी संकाण लोलता हुआ
आदेश पाइते की।

~~ज्ञानी
28/3/17~~


अद्यता

